



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-28092021-230004  
CG-MH-E-28092021-230004

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 421]  
No. 421]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 28, 2021/आश्विन 6, 1943  
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 28, 2021/ASVINA 6, 1943

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड  
अधिसूचना

मुंबई, 28 सितम्बर, 2021

सं. सेबी/एल. ए. डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/51 भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, मेट्रोपोलिटन क्लीयरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बिल्डिंग ए, यूनिट 205 बी, दूसरी मंज़िल, अगस्त्य कारपोरेट पार्क, सुन्दर बाग लेन, कमानी जंक्शन, एल.बी.एस. रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई - 400070, महाराष्ट्र, भारत, द्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018 के विनियम 12 के तहत मान्यता का नवीकरण प्रदान करने के लिए किए गए आवेदन पर विचार करते हुए और यह समाधान हो जाने पर कि यह व्यापार के हित में होगा, प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) के हित में होगा और ऐसा करना लोक हित में भी होगा, एतद्वारा, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 8क की उप-धारा (4) के साथ पठित धारा 4 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त समाशोधन निगम (क्लीयरिंग कारपोरेशन) को मान्यता 3 अक्तूबर, 2021 को प्रारंभ होने वाली और 2 अक्तूबर, 2022 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए, यहाँ नीचे दी हुई शर्तों अथवा जो इसके पश्चात् निर्धारित आदि की जाएँ के अध्यक्षीन, प्रदान करता है :

- समाशोधन निगम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा समय-समय पर निर्धारित शर्तों का पालन करेगा।

जी. महालिंगम, पूर्णकालिक सदस्य

[विज्ञापन-III/4/असा./285/2021-22]

## SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

### NOTIFICATION

Mumbai, the 28<sup>th</sup> September, 2021

**No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/51** The Securities and Exchange Board of India, having considered the application for grant of renewal of recognition under Regulation 12 of the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018 by Metropolitan Clearing Corporation of India Limited, Building A, Unit 205B, 2nd Floor, Agastya Corporate Park, Sunder Baug Lane, Kamani Junction, L.B.S Road, Kurla West, Mumbai - 400 070, Maharashtra, India and being satisfied that it would be in the interest of the trade, in the interest of securities market and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by section 4 read with sub-section (4) of section 8A of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, recognition to the said clearing corporation for one year commencing on the 3<sup>rd</sup> day of October, 2021 and ending on the 2<sup>nd</sup> day of October, 2022 subject to the conditions stated herein below or as may be prescribed or imposed hereafter:

- The Clearing Corporation shall comply with conditions specified by SEBI from time to time.

G. Mahalingam, Whole Time Member

[ADVT.-III/4/Exty./285/2021-22]